UPSR010014572026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 577/2026

साबिर अली उर्फ डंके उम्र 23 वर्ष पुत्र बसारत उर्फ छोटकउ निवासी ग्राम लौकीपुरवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती।

––––––अभियुक्तगण

––––प्रति––

राज्य उत्तर प्रदेश ––––––अभियोगी।

अपराध संख्या 248/2026

अन्तर्गत धारा 70 (1), 115 (2), 352, 351 (3), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध), 3 (2) (va), 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र जमानत</u>

<u>दिनांक 23–07–2026</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र ई–फाइलिंग के उपरान्त दिनांक 15–07–2026 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त साबिर अली उर्फ डंके द्वारा अपराध संख्या 248/2026 अन्तर्गत धारा 70 (1), 115 (2), 352, 351 (3), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध), 3 (2) (va), 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवदेन पर ही यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है और कोई जमानत प्रार्थना पत्र न ही किसी अन्य न्यायालय पर अथवा न ही उच्च

न्यायालय से खारिज हुआ और न ही लंबित है।

पीड़िता/वादिनी मुकदमा उपस्थित है और उसने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि पीड़िता रिंकी पुत्र हरीराम द्वारा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती पर इन कथनों की तहरीर दी गयी कि वह ग्राम पूरे अघारी पोस्ट हरिहरपुर रानी थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती की रहने वाली है व इण्टरमीडिएट मे शिक्षा ग्रहण रही है। मेरी उम्र 19 वर्ष है दिनांक 03–05–2026 को मैं अपने मोबाईल फोन का किस्त जमा करने भिनगा में गयी थी कस्बा भिनगा मे आलम पुत्र मेराज व उनके मौसी का लड़का मुकीम पुत्र तूफानी निवासीगण ग्राम पतिझिया थाना भिनगा जिला श्रावस्ती जो मेरे साथ पढ़ते थे उन्हे मेरे घर वले जानते पहचानते थे जो मीट खरीदने आये थे मोटरसाइकिल लिये दिन मे करीब 02 बजे मुझे मिले तथा मुझसे कहे कि चलो हम भी घर जा रहे है तुम्हे भी घर छोड़ देंगे मै उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अण्टा तिरहा होते हुए भिनगा जंगल में पतिझिया की तरफ जा रहे थे कि करीब समय 2.30 बजे दिन भिनगा जंगल में मैं बाथरूम करने के लिए गाड़ी रूकवा कर बगल झाड़ी में गयी थी कि चार लोग जो डण्डा व गोली कटटा लिये हुए थे आकर आलम व मुकीम को डण्डे से मारते हुए उससे कहने लगे कि साले लड़की लेकर आये हो वो लड़की किधर गयी। इस पर आलम व मुकीम ने चारो व्यक्तियों से कहे कि वो मेरी बहन जैसी है उसे घर छोड़ने के लिए ले जा रहे थे इतने मे चारो व्यक्ति आलम व मुकीम को डण्डे से मारने लगे दोनो रोते हुए कह रहे थे कि भाई मत मारो। आवाज सुनकर मै बाथरूम करने के बाद जब आयी तो उन चारो व्यक्तियों ने मुझे थप्पड़ से मारते हुए हम लोगो का मोबाईल रखवा कर आलम व मुकीम को मारकर बैठा दिये तथा हमे झाड़ी मे ले जाकर चारो व्यक्तियों ने बारी बारी मेरे साथ बलात्कार की घटना कारित किये। आलम व मुकीम चारो व्यक्तियों को पहले से पहचानते थे इन लोगो ने चारो व्यक्तियों का नाम लेकर हाथ जोड़कर गुहार लगाते हुए कहा कि भईया डंके, भईया बाउर, भईया ननके चाचा, हजरत लड़की को छोड़ दीजिए आप की भी बहन बेटियां होंगी इतना कहते ही चारो ने हम तीनो को बुरी तरह मारते पीटते तथा मुझे मारपीट कर नंगा कर करके मुकीम को जबरन मेरे उपर लिटाकर मेरा नग्न व अश्लील वीडियो बनाया उनके बलात्कार करने से मेरी तबीयत खराब हो गयी थी जब चारो मेरे साथ जबरन बलात्कार कर रहे थे तब मै रोते हुए यह भी कह रही थी कि भइया मै आप ही लोगो के गांव घर पूरे अघारी की रहनेवाली हू तथा एक गरीब घर की अनुसूचित जाति कोरी बिरादीर की हूं। मेरी इज्जत बख्श दो लेकिन उपरोक्त चारो हैवान के रूप में मेरी इज्जत को तार तार कर दिये थे तथा घटना के बाद हम लोगो का मोबाईल देकर धमकी दिये कि तुम्हारे जैसी पचासो लड़कियो एवं औरतो का इज्जत इसी जंगल मे हम लूट चुके हैं। इस बार तो हम छोड़ दे रहे है अगर कही शिकायत करोगे तो तुम लोगो को जिन्दा नहीं छोड़ेगे

तथा मुकीम के साथ तुम्हारा जो अश्लील वीडियो बनाये है उसे वायरल करेंगे अपने को बहुत तेज बनती हो। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो मै घबरा गयी तथाअपने माता पिता को यह बात बताई इस घटना में बाउर की औरत सन्नो का पूरा षडयन्त्र है वही जंगल मे गुजरने वाली लड़कियो, महिलाओ, पुरूषो के बारे में पूरी सूचना चारो को देकर षडयन्त्र के तहत लूट बलात्कार की घटना कारित करवायी है। मेरे साथ हुई घ ाटना में भी सन्नो का षडयन्त्र है। जंगल मे इतना भय और आतंक है कि इनकी कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आज मैं जान पर खेल कर आयी हूं।

जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त का कथन है कि घटना बिल्कुल झूठी तथा मनगढन्त है। अभियुक्त व आलम व मुकीम पड़ोसी गांव पतिझिया के रहने वाले है। अभियुक्त व आलम, मुकीम के बीच कथित घटना से पूर्व कुछ वाद विवाद हो गया था जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने थाना कोतवाली भिनगा मे प्रार्थना पत्र दिया था जिसपर थाने की पुलिस आलम व मुकीम को थाने पकड़ लाई फिर थाने की पुलिस आलम व मुकीम को छोड़ दिया उसी रंजिश के कारण आलम व मुकीम एक षडयन्त्र रचकर वादिनी मुकदमा को तैयार करके फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। कथित घटना से अभियुक्त का वास्ता सरोकार नहीं है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रथम सूचना रिपोट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गयी है जिसका पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। प्रथम सूचित ने जिस तरीके से तहरीर दिया है वह विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि कथित पीड़िता पूरे अघारी की निवासिनी बता रही है जो सिसवा गांव के पश्चिम 03 किमी0 की दूरी पर स्थित है और उसको घर जाने के लिए अण्टा तिराहे से घर ले जाने की बात संदेहास्पद प्रतीत होती है। तदनुसार अभियुक्त ने जमानत की याचना की है।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 व पीड़िता/वादिनी मुकदमा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत में लिये गये आधारों पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया है जिसके अनुसार अभियुक्तगण पूर्व से मुकदमा अपराध संख्या 219/2026 धारा 109 (1), 352, 351 (3), 61 (2) बी0एन0एस0 व 3/5, 25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली भिनगा श्रावस्ती में न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध हैं, अभियुक्त ननके के विरूद्ध थाना सोनवा, श्रावस्ती मे मुकदमा अपराध संख्या 85/2026 धारा 352, 351 (3), 109 (1) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम दिनांक 07–06–2026 को पंजीकृत है। अभियुक्तगण पर पीड़िता जो अनुसूचित जाति की बालिका है, के साथ सामूहित बलात्कार किये जाने का आरोप है जो आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों तथा अपराध

की गम्भीरता को देखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त साबिर अली उर्फ डंके द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 70 (1), 115 (2), 352, 351 (3), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) व (ध), 3 (2) (va), 3 (2) (v) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के अपराध के मामले में निरस्त किया जाता है।

(अवनीश गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
श्रावस्ती।